

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 32/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/55

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां 2. चम्पादेवी/मुकनाराम मेघवाल निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति -

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 13.8.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.11.2019 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित रहने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानीकलां ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया। जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1077 किस्म बारानी दायम की भूमि में जारी किया गया है, जो आबादी भूमि नहीं है। नियमानुसार ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है, फिर भी ग्राम पंचायत ने विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। पट्टा रानीकलां की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2019 व पत्र दिनांक 29.01.2020 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 1077 रकबा 0.71 किस्म बारानी दायम में जारी किया गया है, जो पंचायत के खाते में दर्ज है जिसका आबादी में परिवर्तन करवाये बिना ही नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईशतहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्लिदयती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी

(Signature)

अति. जिला कलेक्टर पाली

भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पादेवी पत्नी मुकनाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.11.2019 के विरुद्ध पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में अंकितानुसार डाक बंगले के पीछे खाली भूमि (पडत भूमि) पर तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पादेवी/मुकनाराम मेघवाल जिराका नाम क्रम संख्या 09 पर अंकित है, को निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जिराके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की मिसल कायम नहीं की गयी उक्त पट्टा खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.71 हैक्टर किरम बरानी दोगम पर जारी किया गया है जो पंचायत के खाते में दर्ज है तथा पट्टा रिपोर्ट अनुसार इस भूमि पर पट्टे जारी नहीं कर सकते हैं, जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। नियम 158 के तहत रियायती दर पर या निःशुल्क पट्टे सिर्फ उन्ही को जारी कर सकते हैं, जिनका पूर्व में कही भी आवासीय मकान बना हुआ नहीं हो तथा प्रार्थी बी.पी.एल. एस.सी., एस.टी., आदि हो परन्तु पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत जिनको भी पट्टे जारी किये गये हैं उन सभी के पूर्व में आवासीय मकान बने हुए हैं तथा वे सभी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न परिवार हैं। जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (I) में यह स्पष्ट अंकित है कि चम्पादेवी पत्नी मुकनाराम मेघवाल को नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 21 बुक नम्बर 261 दिनांक 08.11.2019 निःशुल्क जारी किया गया है जो कुल 1350 वर्गफीट है, जो नियम विरुद्ध है क्योंकि उक्त पट्टा खसरा नम्बर 1077 की भूमि में जारी किया गया है, जिसकी किरम बरानी दोगम है, जिसका आबादी सम्परिवर्तन नहीं है, जिस पर आवास हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। चम्पादेवी के पति मुकनाराम शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रारम्भिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हैं जो राजपत्रित अधिकारी हैं एवं नगरपालिका क्षेत्र में इनका पक्का आवासीय मकान बना हुआ है व सम्पन्न परिवार है उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियमों की अनदेखी करते हुये निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अतः उक्त पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंसा की जाती है। जिससे भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरुद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली पर केवल अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र है इसके अतिरिक्त मिसल संलग्न नहीं है तथा पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन के अनुसार भी जैर



Handwritten signature

अति. जिला कलेक्टर, पाली

3 | पंचायत निगरानी संख्या 32/2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां वगैरा निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई मिसल कायम नहीं की गयी अर्थात् ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम नहीं की गयी एवं पंचायत समिति रानी के पत्र दिनांक 23.12.2019 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी रानी स्टेशन द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन से भी यह सुस्पष्ट विधित होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा किया है। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (C) में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंसा की जाती है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 चम्पादेवी पत्नी मुकनाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.11.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 13/8/2024
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luhr

(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

Luhr

(डॉ राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली